परिशिष्ट - 2

नि0 / श्री रावत
25/11/X

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम कियान्वयन विभाग
संख्या–56 /का0कि0वि0/2010
देहरादून:दिनांक 25 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न विभागों द्वारा विकासपरक जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 19/XXXI(1)/एफ–20 (3)/2009 दिनांक 25 अगस्त, 2009 के द्वारा कार्यकम कियान्वयन विभाग का गठन किया गया है। विभिन्न विकास कार्यों एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्यकम कियान्वयन विभाग का गठन किया गया है।

2. अतः विकासपरक योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय कार्यक्रम कियान्वयन प्रकोष्ठ गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह प्रकोष्ठ प्रमुख सचिव/सचिव कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय स्तर पर कार्य करेगा।

3. कार्यक्रम कियान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का सम्पादन/निर्वहन किया जायेगा:–

1. राज्य के समस्त विभागों के योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा/कियान्वयन।
2. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु उच्च स्तर पर गठित समितियों की बैठकों के आयोजन आदि कार्य।
3. मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में सम्मिलित अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।
4. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं का कियान्वयन एवं समीक्षा समन्वय कार्य।
5. कार्यक्रम कियान्वयन प्रकोष्ठ के संबंधित अधिष्ठान कार्य।
6. मुख्य समवन्यक के निर्देशानुसार अन्य समस्त कार्य।

4. उपर्युक्त कार्य सम्पादन हेतु कार्यक्रम कियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन करते हुए प्रकोष्ठ के कार्यों के सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों का उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों के भरे जाने की तिथि, जो भी पहले हो, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व

समाप्त न कर दिये जायं, से दिनांक 28 फरवरी 2011 तक सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	पदनाम	वेतनमान	वेतन ग्रेड	पदों की संख्या
1.	मुख्य समन्वयक			सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पदेन मुख्य समन्वयक रहेंगे।
2.	समन्वयक			अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पदेन समन्वयक रहेंगे।
3.	शोध अधिकारी	15600–39100	5400	01
4.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	सेवा प्रदाय संस्था के माध्यम से		01
5.	चपरासी/पत्रवाहक	सेवा प्रदाय संस्था के माध्यम से		01
	योग:–			**03**

5. इस प्रकार उपरोक्त पद कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ में सृजित होंगे। पदों के नियुक्त प्राधिकारी प्रमुख सचिव/सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग होगें। शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति सेवा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर की जायेगी। उक्त पद पूर्णतः अस्थाई हैं। इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

6. यह पद सचिवालय संवर्ग से बाहर होंगे किन्तु शासन स्तरीय पद होने के फलस्वरूप इन पद धारकों को वह समस्त सुविधायें एवं भत्ते आदि अनुमन्य होंगे, जो सचिवालय के अन्य कर्मचारियों को समय–समय पर अनुमन्य होते हैं।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान सं0–7 ले0शी0 2052.–सचिवालय सामान्य सेवायें–091–संलग्न कार्यालय–00 आयोजनागत –13–कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0संख्या–117P/xxvii(5)/10 दिनांक 16 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्याः 56 /का0कि0वि0/2010 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अधिकारी, इरला चैक, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त अनुभाग–3
9. स्टेशनरी/टेलीफोन अनुभाग।
10. वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।